News

INBRIDE



भारतीय नौसेना के जहाजों ने संयुक्त अभ्यास के साथ सऊदी अरब की यात्रा समाप्त की

भारतीय नौसेना के युद्धपोतों आईएनएस तमाल और आईएनएस सूरत (चित्र में) ने 30 अगस्त को सऊदी अरब के जेद्दा में अपनी बंदरगाह यन्ना पूरी की। उन्होंने तैनाती से पहले रॉयल सऊदी नेवल फोर्सेज (आरएसएनएफ) के युद्धपोत एचएमएस जज़ान के साथ एक अभ्यास किया। इन जहाजों ने खेल गतिविधियों और कर्मियों के साथ बातचीत के माध्यम से आरएसएनएफ और सऊदी बॉर्डर गार्ड के साथ व्यापक रूप से बातचीत की। 28 अगस्त को, इन जहाजों ने सऊदी अरब में भारत के राजदूत डॉ. सुहेल एजाज खान की मेजबानी की। इस यात्रा ने सऊदी अरब के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने की भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और साथ ही दोनों नौसेनाओं को सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और भविष्य के संबंधों की संभावनाओं को तलाशने के अवसर प्रदान किए।

केंद्र ने आदिवासी भाषाओं का अनुवाद करने के लिए 'आदि वाणी' लॉन्च की

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने सोमवार को नई दिल्ली स्थित डॉ. अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में अपने आदि वाणी आदिवासी भाषा अनुवाद ऐप और वेबसाइट का बीटा संकरण लॉन्च किया। राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि यह "दूरस्थ क्षेत्रों में आदिवासी समुदायों के बीच संचार की खाई को पाटने और आदिवासी युवाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने में मदद करेगा"। सरकार ने एक बयानमें इसे "समावेशी आदिवासी सशक्तिकरण और भाषाई संद्क्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल" बताया। एक साल सेज़्यादा समय से विकासाधीन इस ऐपमें आदिवासी भाषाओं का हिंदी और अंग्रेज़ी से हिंदी में अनुवाद करने की क्षमता है। पहले चरण में, समर्थित भाषाओं में गोंडी, भीली, मुंडारी, संथाली, कुई और गारो शामिल हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडरों के लिए समावेशी यौन शिक्षा याचिका पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) और कई राज्यों से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें देश भर के स्कूली पाठ्यक्रमों में ट्रांसजेंडर-समावेशी व्यापक यौन शिक्षा को शामिल करने की मांग की गई है।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) भूषण आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की पीठ ने दिल्ली की 16 वर्षीय छात्रा काव्या मुखर्जी साहा द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया और प्रतिवादियों को छह सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2014 के फैसले के बावजूद, जिसमें स्कूली शिक्षा में व्यापक यौन शिक्षा को शामिल करने का आदेश दिया गया था, यह निर्देश अभी तक लागू नहीं हुआ है। उन्होंने सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत हाल ही में दिए गए एक जवाब का हवाला दिया, जिसमें एनसीईआरटी ने स्वीकार किया था कि उसे अपने पाठ्यक्रम में ऐसी सामग्री शामिल करने की "कोई जानकारी" नहीं है।

श्री शंकरनारायणन ने कहा, "इससे पता चलता हैिक इस न्यायालय के आदेशों का अभी तक पालन नहीं हुआ है।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि यौन शिक्षा में लैंगिक संवेदनशीलता और ट्रांसजेंडर-समावेशी दृष्टिकोण शामिल होना चाहिए।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि एनसीईआरटी और अधिकांश राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषदें (एससीईआरटी) ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 2019 की धारा 2(डी) और 13 के तहत स्पष्ट दायित्वों के बावजूद, लिंग पहचान, लिंग विविधता और लिंग और लिंग के बीच अंतर पर परीक्षा योग्य मॉड्यूल शामिल करने में विफल रही हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, तमिलनाडु और कर्नाटक की पाठ्यपुस्तक समीक्षाओं में प्रणालीगत चूक का पता चला,जिसमें केरल आंशिक रूप से अपवाद है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये चूक समानता के अधिकार का उल्लंघन करती हैं और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कमजोर करती हैं।

नई बैराबी-सैरांग रेल लाइन से मिजोरम में कनेक्टिविटी में सुधार होगा

मिज़ोरम जल्द ही राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जुड़ जाएगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सितंबर के दूसरे सप्ताह में अनुमानित ₹5,021 करोड़ की लागत से निर्मित 51.38 किलोमीटर लंबी बैराबी-सैरांग ब्रॉड-गेज लाइन का उद्घाटन करेंगे।

सैरांग पर समाप्त होने वाली यह नई लाइन, लगभग 20किलोमीटर दूर राज्य की राजधानी आइजोल को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ेगी। यह लाइन असम के सिलचर को भोधापुर जंक्शन के माध्यम से जोड़ती है, जिससे यह नेटवर्क असम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश के साथ एकीकृत हो जाता है।

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि भारतीय रेलवे की 2030 तक अन्य पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और सिक्किम को राष्ट्रीय रेल नेटवर्क से जोड़ने की बड़ी योजना है।

अधिकारी ने रविवार को पत्रकारों को बताया कि इस परियोजना ने मिज़ोरम निवासियों के राज्य की राजधानी से रेल संपर्क के सपने को पुरा किया है।

सड़क मार्ग से पहुँचने में जहाँ कई घंटे लगते थे, वहीं हवाई यात्रा महंगी थी। अधिकारी ने कहा कि रेलगाड़ी से यात्रा सभी वर्ग के लोगों के लिए एक किफायती विकल्प प्रदान करेगी, साथ ही प्यंटन पर विशेष ध्यान देते हुए क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी।

नई लाइन में 48 सुरंगें हैं जिनकी कुल लंबाई 12.85 किलोमीटर है, जिनमें सबसे लंबी लगभग 1.37 किलोमीटर है; 55 बड़े पुल हैं जिनमें सबसे लंबा लगभग 1.3 किलोमीटर है और सबसे ऊँचा सैरांग स्थित क़ुंग पुल है, जो आधार से 114 मीटर ऊँचा है; 87 छोटे पुल; पाँच सड़क ओवरब्रिज; और छह सड़क अंडरब्रिज हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 नवंबर, 2014 को इस परियोजना की आधारशिला वर्चुअल माध्यम से रखी थी। उन्होंने 27 मई, 2016 को बैराबी और सिलचर के बीच पहली यात्री ट्रेन को वर्चुअल माध्यम से हरी झंडी दिखाई।

अधिकारी ने कहा कि मिज़ोरम में लगभग सभी आवश्यक वस्तुएँ असम के सिलचर से लाई जाती थीं, जो सड़क मार्ग से लगभग 10 घंटे की यात्रा है। नई

(संवाददाता बैराबी-सैरांग लाइन का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा आयोजित क्षेत्रीय दौरे पर हैं।)

लाइन के साथ, यात्रा का समय लगभग तीन घंटेतक कम हो जाता है।

अल्पसंख्यक संचालित स्कूलों को आरटीई अधिनियम से छूट दी जाए या नहीं, इस पर फैसला सुनाएगी बड़ी पीठ

Krishnadas Rajagopal NEW DELHI

सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को इस प्रश्न को एक बड़ी पीठ को सौंप दिया कि क्या अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम, 2009 के दायरे से पूरी तरह मुक्त

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की दो-न्यायाधीशों वाली पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करने पर स्कूल शिक्षा विभागों के ज़ोर पर सवाल उठाने वाली कई दीवानी अपीलों पर आधारित एक फैसले में यह संदर्भ दिया।

यह संदर्भ प्रमति एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में 2014 के संविधान पीठ के फैसले पर आशंकाओं से उपजा है।



ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पसंख्यक दर्जा, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अधिदेश को दरकिनार करने का एक साधन और स्वायत्त दर्जा प्राप्त

DIPANKAR DATTA

इस मामले में, पाँच न्यायाधीशों की पीठ शिक्षा के अधिकार अधिनियम की धारा 12(1)(ग) की संवैधानिकता का परीक्षण कर रही थी। यह प्रावधान शैक्षणिक संस्थानों को प्रारंभिक शिक्षा में सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने के लिए प्रवेश स्तर पर वंचित समूहों और कमजोर क्यों के बच्चों के लिए 25% आरक्षण प्रदान करने का आदेश देता है।

हालाँकि, 2014 के फैसले में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि धारा 12(1) (ग) इन संस्थानों के अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन करती है और उनकी संस्थागत स्वायत्तता को प्रभावित करती है। संविधान पीठ ने अल्पसंख्यक संस्थानों को आरटीई कानून के दायरे से पूरी तरह बाहर कर दिया। न्यायमूर्ति दत्ता ने पीठ की ओर से लिखते हुए कहा कि प्रमित एजुकेशनल एंड कल्चरल ट्रस्ट मामले में फैसले ने "अनजाने में सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा की नींव को ही खतरे में डाल दिया है"।

न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा,
"अल्पसंख्यक संस्थानों को शिक्षा
का अधिकार अधिनियम से छूट देने
से समान स्कूली शिक्षा की
अवधारणा खंडित होती है और
अनुच्छेद 21ए में निहित समावेशिता और सार्वभौमिकता की अवधारणा कम्जोर होती है। हमें डर है कि यह जाति, वर्ग, पंथ और समुदाय के बच्चों को एकजुट करने के बजाय, साझा शिक्षण स्थलों की परिवर्तनकारी क्षमता को 'विभाजित' और 'कम्जोर' करता है।"

न्यायाधीश ने लिखा कि 2014 के फैसले के दुरुपयोग को बढ़ावा मिला है। न्यायमूर्ति दत्ता ने कहा, "अल्पसंख्यक का दर्जा शिक्षा का अधिकार अधिनयम के अधिदेश को दरिकनार करने का एक ज़रिया बन गया है। हमारी विनम्र राय में, इसने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जहाँ कई संस्थान स्वायत्त बनने के लिए अल्पसंख्यक का दर्जा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं।"

FAITH

गृहस्थ के कर्तव्य

युधिष्ठिर, पांडवों के साथ वन जाने की इच्छा रखने वाले ऋषियों से कहते हैं कि उन्हें विद्वानों की संगति तो अच्छी लगती है, लेकिन वे नहीं चाहते कि वे वन में कष्ट झेलें। महाभारत में, हम विदुर को धृतराष्ट्र को हमेशा विद्वानों की संगति करने की सलाह देते हुए पाते हैं। ज्ञानी लोग अपने साथियों को उचित और समय पर सलाह देते हैं। किदाम्बी नारायणन ने एक प्रवचन में कहा कि युधिष्ठिर ऋषियों से कहते हैं कि उन्हें अपने लिए धन की इच्छा नहीं है। लेकिन ऋषियों के हितों का ध्यान रखने के लिए धन आवश्यक है। एक गृहस्थ का महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि वह संन्यासियों की देखभाल करे। एक संन्यासी के पास हमेशा दर्भ घास, अच्छा पानी और अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए एक उचित स्थान होना चाहिए। एक गृहस्थ को यह स्निश्चित करना चाहिए कि ऋषियों को उनकी ज़रूरत की हर चीज़ मिले।

इसके अलावा, एक गृहस्थ को प्यासे के लिए पानी, थक हुए के लिए विश्राम स्थल और भूखों के लिए भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। दुर्भाग्य से, युधिष्ठिर के पास अब कुछ भी नहीं है। उनकी सारी संपत्ति छीन ली गई है। फिर अगर साधु उसकेपीछे चलने पर अड़े रहें, तो वह उनकी देखभाल कैसे कर सकता है? यही उसकी चिंता है। प्रत्येक व्यक्ति को अतिथियों, रिश्तेदारों और अपने परिवार के सदस्यों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना चाहिए। यहाँ तक कि जब कोई भोजन पकाता भी है तो उसे कभी भी यह सोचकर नहीं खाना चाहिए कि वह अपने लिए भोजन बना रहा है। उसे यह सोचना चाहिए कि भोजन उन लोगों के साथ कैसे बाँटा जाए जिनके पास भरपेट भोजन करने के साधन नहीं हैं। मान लीजिए, किसी अजनबी व्यक्ति से उसकी मुलाक़ात हो जाए। यदि वह लंबी यात्रा के बाद थका हुआ लगे, तो उसे तुंस्त भोजन करा देना चाहिए। यह भी एक गृहस्थ का कर्तव्य है। युधिष्ठिर ऋषि शौनक से कहते हैं कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह गृहस्थ के सभी कर्तव्यों का पालन बिना चूके करे।

बिना किसी अनुवाद गलती वाला संस्करण फ्री में पढ़ने के लिए अभी 8168305050 पर संपर्क करे।